>

Title: Need to extend the time limit of the special package for the promotion of industries in the state of Uttarakhand till the year 2020 on the lines of North Eastern States.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज में उत्तराखण्ड राज्य की उपेक्षा किए जाने की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, 7 जनवरी, 2003 को केन्द्र में एनडीए की सरकार द्वारा उत्तराखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश के लिए एक विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गयी थी। यह पैकेज घोषणा की दिनांक से आगामी दस वर्षों अर्थात 6 जनवरी, 2013 तक के लिए घोषित किया गया था। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से तीन वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाएं प्रदान की गयी थीं - एक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से दस वर्ष तक के लिए शत-प्रतिशत छूट। दो, आयकर में प्रथम पांच वर्ष के लिए 100 प्रतिशत एवं अगले पांच वर्ष के लिए कंपनियों के लिए 30 प्रतिशत एवं व्यक्तिगत इकाइयों के लिए 25 प्रतिशत की छूट। तीन, प्लांट एवं मशीनरी में अचल पूंजी निवेश पर 15 प्रतिशत तथा अधिकतम 30 लाख रुपये की केन्द्रीय सब्सिडी।

महोदय, केन्द्र में यूपीए सरकार आने के बाद दिनांक 9 जुलाई, 2004 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क की छूट के लिए इस पैकेज की सीमा घटाकर 31 मार्च, 2007 कर दी गयी। फिर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने इस सीमा को दिनांक 31 मार्च, 2010 तक के लिए बढ़ाया है, जो वर्तमान में लागू है अर्थात मात्र उन्हीं औद्योगिक इकाइयों को उत्पाद शुल्क में छूट का लाभ मिलेगा जो दिनांक 31 मार्च, 2010 तक अपना उत्पादन प्रारंभ कर चुकी हैं। उत्तराखण्ड सरकार विगत लगभग चार वर्षों से निरंतर भारत सरकार से अनुरोध कर रही है कि इस पैकेज की मूल रूप से घोषित समयसीमा अर्थात मार्च, 2013 को यथावत रखते हुए उत्तराखण्ड राज्य को विशेष औद्योगिक पैकेज उत्तर-पूर्व के राज्यों के लिए लागू पैकेज की तर्ज पर वर्ष 2020 तक बढ़ाया जाए। इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं सांसद माननीय प्रधान मंत्री जी से मिल चुके हैं, परन्तु भारत सरकार द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि देश में जीएसटी प्रस्तावित होने के कारण इस प्रकार की छूट दिया जाना उपयुक्त नहीं है, दूसरी ओर उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए विशेष पैकेज वर्ष 2017 तक लागू है। इस प्रकार उत्तराखण्ड को इससे वंचित करना विभेदकारी है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में बेरोजगारी को दूर करने एवं पलायन को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 में विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लागू की गयी, परन्तु केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट का लाभ नई इकाइयों को न मिलने से इस नीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा राज्य में निवेश प्रभावित हुआ है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि इस पैकेज को वर्ष 2020 तक बढ़ाया जाए ताकि उत्तराखण्ड राज्य के औद्योगिक विकास को गति मिल सके। आपने बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।